XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

30-01-2012

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या–73/2009
धारा–21 B.P.P.H.T. Act अन्तर्गत

1. अन्नु पासवान
2. कारे पासवान — तीनों के पिता–बिरन पासवान
3. मिट्ठू पासवान

साकिन–भटोत्तर, थाना–बड़हरा कोठी, जिला–पूर्णियाँ........................ आवेदक

बनाम

1. मसोमात अलखी देवी, पति–स्व0 धोलट पासवान
2. चन्देश्वरी पासवान — दोनों के पिता– स्व0 धोलट पासवान
3. मनीकान्त पासवान
4. पिंकी देवी, पिता– स्व0 धोलट पासवान

सभी का साकिन– भटोत्तर, थाना–बड़हरा कोठी, जिला–पूर्णियाँ................. विपक्षी

आ दे श

आवेदक द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या–64/1975–76 में अंचलाधिकारी, बड़हरा कोठी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद प्रारम्भ किया गया है। आवेदकगण मौजा–भटोत्तर, खाता संख्या–62, खेसरा संख्या–340/713, रकवा–05 डिसमिल जमीन राम अवतार सिंह से रजिस्टर्ड केवाला संख्या–556 द्वारा दिनांक 16.01.2002 को एवं खाता संख्या–149, खेसरा संख्या–340, रकवा–05 डिसमिल, खेसरा संख्या–341, रकवा–04 डिसमिल जमीन कैलाश झा से रजिस्टर्ड केवाला संख्या–13571 द्वारा दिनांक 22.05.1982 को खरीदा है। आवेदक को खरीदे गये जमीन के खेसरा संख्या–340/713 में इन्दिरा आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिये राशि प्राप्त हुआ और आवेदकगण मकान बनाकर रह रहे हैं। अंचलाधिकारी, बी0 कोठी द्वारा विपक्षी के पिता स्व0 धोलट पासवान के नाम वासगीत पर्चा वाद संख्या–64/1975–76 द्वारा खाता संख्या–62, खेसरा संख्या–340/713, रकवा–09 डिसमिल का पर्चा निर्गत किया गया। दिनांक 15.08.2009 को पर्चाधारी स्व0 धोलट पासवान के वारिसों (विपक्षीगण) ने आवेदक को जानकारी दी कि उपरोक्त जमीन का पर्चा मेरे पिता के नाम से है। अतः जमीन खाली करने का दबाब आवेदक पर देने लगे। उल्लेखनीय है कि पर्चा निर्गत करने से पूर्व अंचल कार्यालय द्वारा न तो आवेदक को और न ही पूर्व भूस्वामी को नोटिश दिया गया। आवेदक स्वंय गरीबी रेखा के नीचे का व्यक्ति है। फिर भी आवेदक के जमीन का पर्चा विपक्षी के नाम निर्गत किया गया, जो नियम विरूद्ध है। साथ ही आवेदकगण इन्दिरा आवास योजना द्वारा बने भवन में सपरिवार निवास कर रहा है। अतः आवेदकगण निवेदन करता है कि विपक्षी के नाम निर्गत पर्चा को रद्द करने की कृपा की जाय।

अंचलाधिकारी अपने जाँच प्रतिवेदन मं उल्लेख किये हैं कि पर्चाधारी का पर्चावाली जमीन पर दखल–कब्जा नहीं है।

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 16.12.2011 को सुनवाई की गयी। विपक्षी हाजरी देने के बाद भी अनुपस्थित रहे। पूर्व में भी वे कई बार अनुपस्थित रहे, इसलिये दिनांक 01.04.2011 एवं 04.07.2011 को अंतिम मौका देते हुए न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देशित किया गया। कई मौका देने के बाबजूद भी विपक्षी द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश गलत है।

पुनः दिनांक 27.01.2012 को सुनवाई हेतु रखी गयी।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन तथा सुनवाई के उपरान्त स्पष्ट है कि पर्चाधारी का पर्चावाली जमीन पर दखल–कब्जा नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में अंचलाधिकारी, बी0 कोठी के द्वारा पारित आदेश को खारिज किया जाता है। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ